भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4483

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

पंजाब में भूजल स्तर

4483. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राज्य में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) पंजाब में नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में सतत् जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या दीर्घकालिक रणनीति तैयार की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पंजाब राज्य सहित देश भर में वर्ष में चार बार भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। नवंबर 2024 के भूजल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि मॉनिटर किए गए 42.5% कूपों में जल स्तर जमीनी स्तर से 0 से 10 मीटर नीचे (एमबीजीएल) की सीमा में हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डॉयनेमिक भूमि जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, पंजाब में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 19.19 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है और सभी उपयोगों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 27.66 बीसीएम है।

(ख): जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों के सतत् विकास के लिए उपाय करने सहित जल संबंधी मुद्दों का समाधान करना राज्य सरकारों के अधिदेश के अंतर्गत आता है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को संपूरित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा पंजाब राज्य सहित पूरे देश में भूजल स्तर की गिरावट का समाधान करने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से पंजाब सहित देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में जेएसए 2025 को पूरे देश में लॉन्च किया गया है, जिसमें पंजाब के जिलों सहित पूरे देश के अति-दोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर ज़िलों (ओसीएस जिलों) पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न

केंद्रीय और राज्य योजनाओं के सम्मिलन से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत्त विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र की मैपिंग कर ली गई है जिसमें पंजाब का 50,368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है तथा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसे संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इस योजना में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल के संरक्षण के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। पंजाब राज्य के मास्टर प्लान में लगभग 1200 एमसीएम वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए लगभग 11 लाख संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से पंजाब सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2024 तक पंजाब में पीडीएमसी के तहत 15,173 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य पंजाब सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 1,450 अमृत सरोवर पंजाब में हैं।

(ग): भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत देश में विभिन्न नदियों (गंगा और इसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त) के चिह्नित क्षेत्रों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर नदियों के प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जा रहा है। पंजाब में, सतलुज, ब्यास और घग्गर नदियों के प्रदूषण के उपशमन संबंधी उपायों का कार्यान्वयन किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुपचारित सीवेज के अवरोधन और डॉयवर्जन, सीवरेज प्रणाली का निर्माण, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना, कम लागत वाली स्वच्छता कार्यक्रम, रिवर फ्रंट / स्नान घाटों का विकास आदि से संबंधित विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्य आरंभ किए गए हैं। एनआरसीपी के अंतर्गत इस

उद्देश्य के लिए कुल स्वीकृत लागत 774.43 करोड़ रूपए है और 663.20 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता का सृजन किया गया है।

(घ): पंजाब सहित देश में जल संसाधनों के स्थायी और एकीकृत प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी कार्यनीति तैयार करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, देश के जलभृत मैपिंग, विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना द्वारा निष्कर्षण का उचित विनियमन और सतही एवं भूजल का एकीकृत विकास शामिल है। इस नीति को अपनाने के लिए राज्यों को परिचालित किया गया है।

- एनडब्ल्यूपी की आकांक्षाओं के अनुरूप, सरकार द्वारा जल संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए कई मांग और आपूर्ति पक्ष उपायों का कार्यान्वयन किया गया है। पीडीएमसी जैसी योजनाओं में जल की अत्यधिक मांग को काम करने के उद्देश्य से पंजाब में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) आदि के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पंजाब को किसानों को अपनी मुफ्त/रियायती बिजली नीति की समीक्षा करने और उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति अपनाने हेतु ऐड्वाइज़री जारी की गई है, जिस पर राज्य द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जल शक्ति अभियान, मिशन अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना आदि के तहत वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार किया गया।
- उपरोक्त के अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय के परामर्श के आधार पर, पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजाब जल संसाधन विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीडब्ल्यूआरडीए) की स्थापना की गई है ताकि राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन को सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त भूजल पर निर्भरता को कम करने और सतही जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, पंजाब सरकार द्वारा नहर नेटवर्क के विस्तार और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

*****